



2026:AHC:54073

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 5080/2026

राम प्यारे कुशवाहा

..... याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता

: शशि कांत द्विवेदी

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता

: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

- कुछ तर्कों के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रार्थना की गई है कि वर्तमान याचिका को, नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता के साथ, खारिज कर दिया जाए।
- इस प्रार्थना का विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा विरोध नहीं किया गया है।
- तदनुसार, रिट याचिका को, यथा-प्रार्थित स्वतंत्रता के साथ, खारिज किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।)

16 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"